प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 168/2008

अपीलकर्ता: रविशंकर गाबेल एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: राज्य छत्तीसगढ़

दांडिक अपील क्रमांक 191/2008

अपीलकर्ता: शनि जायसवाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: राज्य छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 216/2008

अपीलकर्ता: राजकुमार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: राज्य छत्तीसगढ़

श्री वैभव गोवर्धन और सुश्री मधुनिषा सिंह, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य के लिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दांडिक अपील।

निर्णय

(16.07.2012)

चूंकि ये तीनों अपीलें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 130/2006 में पारित एक ही निर्णय और आदेश दिनांक 23.1.2008 से उत्पन्न हुई हैं , जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थीगण रविशंकर गबेल, उजागर, रवि जायसवाल, जगजीवन गबेल और रामेश्वर कलार को दांडिक अपील संख्या 168/2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 506-B के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है;

अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार को दांडिक अपील संख्या 216/2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 342 और 376 के तहत दोषी ठहराते हुए क्रमशः 7 वर्ष 500/- रुपये जुर्माना के साथ, 7 वर्ष 500/- रुपये जुर्माना के साथ, 1 वर्ष 500/- रुपये जुर्माना के साथ और 10 वर्ष 1000/- रुपये जुर्माना के साथ कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है; और अभियुक्त/अपीलार्थी शनि को दांडिक अपील संख्या 191/2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 342 के तहत दोषी ठहराते हुए क्रमशः 7 वर्ष 500/- रुपये जुर्माना के साथ, 7 वर्ष 500/- रुपये जुर्माना के साथ और 1 वर्ष 500/- रुपये जुर्माना के साथ एवं कठोर कारावास की सजा तथा व्यतिक्रम शर्तों के साथ दंडित किया गया है, अतः इन सभी अपीलों का निपटारा इस साझा निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि 30.11.2004 को अभियोक्त्री (अ.सा-10), जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी, द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-17 दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वह ग्राम चैनपुर, थाना करतला, जिला कोरबा की निवासी थी और 23.11.2004 को वह ग्राम सोंधिया, थाना जांजगीर में अपनी बहन और बहनोई मुरारीलाल राठौर (अ.सा-13) के घर गई थी। यह आरोप लगाया गया है कि 26.11.2004 को रात लगभग 8.30 बजे, जब वह प्राकृतिक क्रिया (शौच) के लिए घर से बाहर निकली, तो अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार और शनि ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कपड़े के टुकड़े से उसका मुँह बंद कर दिया और उसे जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर, जिसे अभियुक्त/अपीलार्थी शनि चला रहा था, एक सुनसान घर में ले गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार ने बलात्कार करने की नीयत से उसके कपड़े उतार दिए और जब उसने इसका विरोध किया, तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण डर के मारे वह चुप रही। यह भी आरोप है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी उसके साथ यौन संबंध बना रहा था, तब अभियुक्त/अपीलार्थी शनि वहीं खड़ा था। रात लगभग 2.30 बजे, अभियुक्त राजकुमार ने उसकी माँ के नाम पर धमकी देकर उसके साथ दोबारा बलात्कार किया और फिर उसे कमरे में बंद करके दोनों वहां से चले गए। कथित तौर पर, वहां से जाते समय उन्होंने उसे धमकी दी थी कि वह उनके द्वारा भेजे गए एक विशेष व्यक्ति के साथ अपने गाँव जाएगी, क्योंकि उसने वह कर लिया था जो वह चाहता था । 27.11.2004 को रात लगभग 9 बजे, अभियुक्त/अपीलार्थी रवि जायसवाल वहां आया और दरवाजा खोलने के बाद जब वह उसे ग्राम चैनपुर ले जा रहा था, तो रास्ते में अभियुक्त/अपीलार्थी रविशंकर गबेल, उजागर गबेल, जगजीवन गबेल और रामेश्वर जायसवाल उन्हें मिले और उस समय भी उन्होंने उसे सीधे अपने घर जाने की धमकी दी थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि चूंकि वह अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे फिर से धमकी दी कि उस स्थिति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में वे उसे फांसी पर लटका देंगे। इसके बाद, अभियुक्त रवि जायसवाल ने उसे घर छोड़ दिया जहाँ उसने अपनी माँ, पिता, भाई और बहनोई को घटना की जानकारी दी और फिर रिपोर्ट दर्ज की गई । इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार और शनि के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और 342 के तहत अपराध दर्ज किए गए। 2.12.2004 को डॉ. नंदिनी चंद्रवंशी (अ.सा-4) द्वारा अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण (प्र. पी-5) किया गया। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस द्वारा 2.7.2005 को इन्ही धाराओं और धारा 34 भा.दं.स के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया । 23.11.2007 को अधीनस्त न्यायलय द्वारा धारा 506-बी भा.दं.स के तहत अपराध के लिए रविशंकर गबेल, उजागर, रवि जायसवाल, जगजीवन गबेल और रामेश्वर को अभियुक्त के रूप में शामिल करने का आदेश पारित किया गया । तदनुसार, उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया और 19.4.2007 को उनके विरुद्ध उक्त धारा के तहत आरोप तय किए गए।

3.अपने प्रकरण के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों का परीक्षण किया है। अभियुक्तों/अपीलार्थियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाए जाने की बात कही।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षों को सुनने के बाद, अधीनस्त न्यायलय ने अभियुक्तों/अपीलार्थियों को इस निर्णय के कंडिका संख्या 1 में उल्लेखित अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया है।

5. अभियुक्तों/अपीलार्थियों के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान प्रकरण अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार और अभियोक्त्री के बीच प्रेम प्रसंग का है। अन्य अपीलार्थियों को केवल इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वे राजकुमार के मित्र थे और उन्होंने ग्राम पंचायत में उसका पक्ष लिया था। उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष द्वारा एक अत्यंत असंभावित कहानी पेश की गई है और अभियोक्त्री का स्वयं का आचरण यह दर्शाता है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार के कृत्य में एक सहमत पक्ष थी। वे तर्क देते हैं कि अभियोक्त्री के अपने कथनानुसार, उसने एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए थे और मुख्य रिपोर्ट प्र.पी-17 पर उसने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे; ऐसा प्रतीत होता है कि कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर का उपयोग अभियुक्तों के विरुद्ध किया गया है। उनके अनुसार, अभियोक्त्री ने स्वयं कहा है कि वह घटना के बाद अपने घर जाने की इच्छुक नहीं थी, बल्कि अभियुक्तों ने ही उसे ऐसा करने के लिए धमकाया था, जो यह भी दर्शाता है कि वह सहमत पक्ष थी। अधिवक्ताओ का यह भी तर्क है कि पूरी घटना के दौरान, जब अभियोक्त्री को कथित तौर पर राजकुमार और शनि द्वारा ले जाया गया, उसने कोई विरोध नहीं किया और बिना किसी विरोध के 3-4 घंटे तक उनकी

मोटरसाइकिल पर बैठी रही। यहाँ तक कि अपराध होने के बाद भी, जब उसे अभियुक्त रवि जायसवाल द्वारा ले जाया गया, तब भी उसने कोई विरोध नहीं किया और उसके साथ चली गई। अभियुक्तों के वकील ने आगे तर्क दिया कि श्याम कार्तिक मेले में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे, लेकिन अभियोक्त्री ने अभियुक्तों के चंगुल से बाहर आने का कोई प्रयास नहीं किया । वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में हुई 3 दिनों की अत्यधिक देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है और अभियोक्त्री की मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करती है। अभियोक्त्री के माता-पिता के बयानों का संदर्भ देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि उनके कथन अभियोजन के प्रकरण को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं क्योंकि उसके पिता मुकर गए हैं। उसकी माँ सावित्री बाई (अ.सा-12) के कथन का संदर्भ देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि घटना के बाद जब अभियोक्त्री अपने घर पहुँची, तो उसकी माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो यह दर्शाता है कि वह अभियोक्त्री से नाराज थी, अन्यथा सामान्य स्थिति में कोई भी माँ अपनी बेटी को घर में प्रवेश करने से नहीं रोकती। उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई गई क्योंकि अभियोक्त्री के परिवार को समाज से बहिष्कृत होने का डर था । घटना के बाद भी, अभियोक्त्री के पिता अपनी बड़ी बेटी के घर ग्राम सोंधिया चले गए और अभियोक्त्री की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई, जो फिर से यह दर्शाता है कि वह उसके आचरण से नाराज थे। मुरारीलाल राठौर (अ.सा-13) के अदालती कथन के कंडिका 12 का हवाला देते हुए अभियुक्तों के वकील ने कहा कि इस गवाह ने स्वीकार किया है कि यदि राठौर समुदाय की लड़की किसी दूसरे समुदाय के लड़के के पास जाती है, तो समाज उस लड़की और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर देता है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि समाज के लोगों को अभियोक्त्री और राजकुमार के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता, तो वे लड़की और उसके परिवार को दंडित करते और उन्हें समाज से बाहर कर देते। वकील ने इस गवाह के उस कथन की ओर भी ध्यान दिलाया जहाँ उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि समाज में रहने के लिए मान-प्रतिष्ठा बनाए रखना आवश्यक था और उसके लिए रिपोर्ट दर्ज करना जरूरी हो गया था। इस गवाह के अनुसार, समाज के लोग भी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई चाहते थे यदि अभियोक्त्री और उसका परिवार अपने पक्ष में सही थे। अभियोक्त्री के पिता भागीरथी (अ.सा-1) के कथन के कंडिका 21 का संदर्भ देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उसकी बेटी (अभियोक्त्री) अभियुक्त राजकुमार से विवाह कर लेती, तो समाज उसका बहिष्कार कर देता। पुनः अंजनी (अ.सा-2) के कथन के कंडिका 20 का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि इस गवाह ने कहा है कि यदि राजकुमार उनकी जाति का होता, तो उसके साथ विवाह में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन चूंकि वह दूसरी जाति का है, इसलिए उनका विवाह नहीं हो सकता था । इस गवाह के कथन के कंडिका 19 का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि वास्तव में रिपोर्ट अभियोक्त्री द्वारा नहीं,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बल्कि कई व्यक्तियों के साथ उचित परामर्श के बाद मुरारीलाल राठौर (अ.सा-13) द्वारा दर्ज कराई गई थी।

6. आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि यह एक ऐसा प्रकरण है जहाँ अभियोक्त्री की लाचारी का लाभ उठाते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार और शनि उसे एक दूर स्थान पर ले गए जहाँ अभियुक्त राजकुमार ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। उन्होंने तर्क दिया कि जब राजकुमार द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया जा रहा था, तब अभियुक्त शनि ने स्थिति पर नज़र रखने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके अनुसार, यहाँ तक कि अन्य अभियुक्तों, अर्थात् रविशंकर गबेल, उजागर गबेल, जगजीवन गबेल और रामेश्वर ने भी दोनों अभियुक्तों की सहायता की और अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए धारा 506-ब भा.दं.स के तहत उनकी दोषसिद्धि उचित और सही है। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, रिपोर्ट दर्ज करने में देरी बहुत स्वाभाविक है जब सात व्यक्ति अभियोक्त्री के पीछे पड़े थे और उसे धमकी दे रहे थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब अभियोक्त्री का कथन न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है, तो दो-तीन दिनों की देरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोक्त्री कभी भी सहमत पक्ष नहीं थी, बल्कि अभियुक्तों ने उसे जबरन अगवा किया था और एक सुनसान जगह पर कैद करके रखा था जहाँ अभियुक्त राजकुमार ने दो अवसरों पर उसके साथ बलात्कार किया । अभियोक्त्री की मेडिकल प्रतिवेदन प्र. पी-5 के संबंध में, प्रतिवादी/राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि 2.12.2004 को उसकी बाईं कोहनी पर दो खरोंचें पाई गई थीं और डॉक्टर ने राय दी थी कि वे चोटें परीक्षण के सात दिनों के भीतर की हो सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोक्त्री के पिता भागीरथी राठौर (अ.सा-1), यद्यपि पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन यदि उनके पूरे कथन पर विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने भी बलात्कार का आरोप लगाया है और महत्वपूर्ण तथ्यों पर उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध गवाही दी है। उनके अनुसार, अभियोक्त्री के पिता आठ दिनों तक अपनी बड़ी बेटी के घर में रहे क्योंकि वे घटना से स्तब्ध थे और अपनी बेटी (अभियोक्त्री) के लिए न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार जब अभियोक्त्री ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगा दिया है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-A लागू होगी और यह उपधारणा की जाएगी कि अभियोक्त्री सहमत पक्ष नहीं थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करने में देरी अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री को उसकी माँ के नाम पर दी गई धमकी के कारण भी हो सकती है। राज्य के वकील के अनुसार, अभियुक्तों द्वारा लिए गए दो बचाव, यानी दोनों परिवारों के बीच शत्रुता और अभियुक्त राजकुमार एवं अभियोक्त्री के बीच प्रेम प्रसंग, आपस में विरोधाभासी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियोक्त्री (अ.सा-10) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह अभियुक्तों/अपीलार्थियों को जानती थी और यह घटना (गवाही के समय से) दो साल पहले हुई थी । घटना के समय वह मेला देखने ग्राम सरखों गई थी। रात में जब वह शौच के लिए घर से बाहर निकली, तो अभियुक्तों ने पीछे से आकर कपड़े के टुकड़े से उसका मुँह बंद कर दिया, उसे कुछ दूर तक घसीटा और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा दिया, जिसे अभियुक्त शनि चला रहा था जबकि अभियुक्त राजकुमार उसे पकड़े हुए था। इसके बाद लगभग 3-4 घंटे की ड्राइविंग के बाद वे उसे एक घने जंगल में स्थित एक सुनसान घर में ले गए। चूंकि उक्त घर पर ताला लगा था, इसलिए उसे अभियुक्त शनि ने खोला और अभियुक्त राजकुमार उसे जबरन अंदर ले गया जहाँ पूरी तरह अंधेरा था । इसके बाद अभियुक्त राजकुमार ने उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा और जब उसने इसका विरोध किया, तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके कपड़े उतारने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार ने उसके साथ दो बार जबरन यौन संबंध बनाए ।उसे उस कमरे में पूरी रात और अगले दिन भी रखा गया । दूसरी रात लगभग 12-1 बजे अभियुक्त रवि जायसवाल वहां आया, उसे पीटना शुरू किया और उसे टेकरा नामक स्थान पर ले गया जहाँ अभियुक्त शनि, राजकुमार, रवि गबेल, उजागर गबेल, जगजीवन गबेल और रामेश्वर जायसवाल पहले से मौजूद थे। इस गवाह के अनुसार, इन सभी व्यक्तियों ने उसे गाली दी और उसके गालों को छूकर उसका मज़ाक भी उड़ाया। इसके बाद, उसके इनकार के बावजूद अभियुक्त रवि जायसवाल उसे उसके माता-पिता के घर ले गया और घर पहुँचते ही उसने ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ दी, जिस पर जब उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और टॉर्च की रोशनी में देखा, तभी अभियुक्त रवि जायसवाल वहां से चला गया। घर पहुँचने के बाद उसने पूरी घटना की जानकारी अपनी माँ को दी और फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसने कहा है कि उसके हस्ताक्षर एक कोरे काग़ज़ पर लिए गए थे ।रिपोर्ट प्र.पी-17 के साथ सामना कराए जाने पर, इस गवाह ने 'अ से अ' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और फिर प्र.पी -18 के माध्यम से अपनी सहमति देने के बाद उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। ग्राम सरखों में पुलिस द्वारा घटनास्थल के नक्शे प्र.पी -19 और 20 तैयार किए गए और पटवारी द्वारा प्र.पी -13 तैयार किया गया। प्रति परीक्षण में उसने बताया कि उसने कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की है। 1998 में अपनी बड़ी बहन की शादी के बाद वह 4-6 बार ग्राम सरखों गई थी और उसकी बहन के घर के सामने एक सार्वजनिक सड़क है जिसके दोनों ओर आवासीय क्वार्टर भी हैं। उसके अनुसार उसने लगभग डेढ़ घंटे तक श्याम कार्तिक मेले का आनंद लिया जहाँ कई दुकानें थीं और लोग 24 घंटे वहां आते-जाते रहते थे। उसने कहा है कि पुलिस द्वारा रिपोर्ट वैसे दर्ज नहीं की गई जैसा उसने बताया था और कोरे काग़ज़ पर उसके हस्ताक्षर लिए गए थे, जिसके लिए उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, हालांकि उसकी पावती उसके पास नहीं है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसे ग्राम चैनपुर लाने के लिए पुलिस वालों ने पैसों की मांग की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थी और इस संबंध में भी उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी ।उसके अनुसार, अन्य बातों के अलावा, उसने पुलिस को यह भी बताया था कि अभियुक्त द्वारा उसका मुँह कपड़े से बंद किया गया , उसे कुछ दूर तक घसीटा गया, 3-4 घंटे तक मोटरसाइकिल पर बिठाया गया, घने जंगल के सुनसान घर में ले जाया गया, उसके कपड़े उतारे गए, दो बार बलात्कार किया गया, और टेकरा ले जाते समय अभियुक्त रवि जायसवाल द्वारा उसे पीटा गया तथा अभियुक्तों द्वारा उसके गालों को छुआ गया; लेकिन यदि ये बातें रिपोर्ट प्र.डी-2 में दर्ज नहीं हैं, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। उसने स्वीकार किया कि रिपोर्ट तुरंत न तो थाने में और न ही पुलिस अधीक्षक के पास दर्ज कराई गई थी। उसने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त राजकुमार उसके भाई से मिलने उसके घर आता था, या उसने और अभियुक्त ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, या उसने कभी उसके विरुद्ध छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ।उसके अनुसार, अभियुक्त राजकुमार कभी शादी का प्रस्ताव लेकर उसके घर नहीं आया था और न ही उनके बीच किसी पत्र का आदान-प्रदान हुआ था; उसने यह भी बताया कि राजकुमार शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उसने कहा कि यदि मोटरसाइकिल चलाने वाला या पीछे बैठने वाला व्यक्ति अचानक कोई लापरवाही भरी हरकत करे, तो वाहन असंतुलित हो सकता है और तेज़ रफ़्तार में इससे मृत्यु भी हो सकती है। उसने स्वीकार किया कि मेले में भारी भीड़ के कारण लोगों का चलना बहुत मुश्किल होता है। कंडिका 15 से 18 में उसे दिए गए विभिन्न सुझावों को इस गवाह ने खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भागीरथी राठौर (अ.सा-1), जो अभियोक्त्री के पिता हैं, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि 26.11.2004 को उनकी बेटी (अभियोक्त्री) का अपहरण कर लिया गया था और अपने दामाद से यह जानकारी मिलने पर वह ग्राम सरखों आए और प्रकरण की सूचना श्याम कार्तिक मेले में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दी गई, जिस पर पुलिस वालों ने उनसे कहा कि वे एक-दो दिन अभियोक्त्री की तलाश करें और यदि वह फिर भी नहीं मिलती है, तो वे प्रकरण में आगे की कार्यवाही करेंगे। 28.11.2004 को उन्हें अपने बेटे से सूचना मिली कि अभियोक्त्री घर लौट आई है, जिस पर उन्होंने अपने दामाद से उसे ग्राम सरखों लाने को कहा । 30.11.2004 को जब उनका दामाद अभियोक्त्री को सोरखों ले जा रहा था, तो वह उसे जांजगीर के न्यायालय के पास मिला जहाँ उसने उसे अपने साथ हुए यौन संबंध के बारे में बताया और यह भी कहा कि चाहे उसे परिवार का समर्थन मिले या न मिले, वह रिपोर्ट दर्ज कराएगी । इसके बाद, इस गवाह को अभियोक्त्री ने सूचित किया कि अभियुक्त राजकुमार ने उसके साथ बलात्कार किया था । हालाँकि इस स्तर पर इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, फिर भी उसने स्वीकार किया कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अभियोक्त्री के साथ थाने गया था, चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अपनी सहमति दी थी और पंचनामा (प्र.पी-2), सहमति

पत्र (प्र.पी-4) और डॉक्टर की प्रतिवेदन (प्र.पी -5) पर हस्ताक्षर किए थे । उसने जब्ती मेमो (प्र.पी -6 और पी-7) पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं । बचाव पक्ष द्वारा इस गवाह से विस्तार से प्रति प्रेक्षण की गई और कई अप्रासंगिक प्रश्न पूछे गए । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके बेटे के बीच एक निश्चित राशि के भुगतान को लेकर कुछ विवाद था और इसके लिए एक पंचायत बैठक भी बुलाई गई थी ।अंजनी राठौर (अ.सा-2) - अभियोक्त्री की बहन ने बताया है कि 26.11.2004 को अभियोक्त्री ग्राम सोरखों में उसके घर पर थी और रात में वह लापता पाई गई । गाँव में उसकी तलाश की गई लेकिन उसका पता नहीं चल सका । सूचना मिलने पर उसके पिता और भाई ग्राम सोरखों आए और उसके पति व पिता द्वारा तलाश किए जाने के बावजूद अभियोक्त्री नहीं मिली । इसके बाद, उसके पति और पिता ने श्याम कार्तिक मेले में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस वालों ने उन्हें रिश्तेदारों के घर में तलाश करने के लिए कहा और अंततः यदि वह नहीं मिलती है, तो जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी । 28.11.2004 को उसके छोटे भाई ने सूचित किया कि अभियोक्त्री घर पहुँच गई है और फिर अगले दिन उसका पति उसे लेने गया जहाँ उसने उसे बताया कि वह रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है और तदनुसार रिपोर्ट दर्ज कराई गई । घर पहुँचने के बाद, अभियोक्त्री ने उसे बताया कि जब वह शौच के लिए गई थी, तो उसके मुँह में कपड़े का टुकड़ा डाल दिया गया था, उसका चेहरा ढंक दिया गया था और अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार और शनि उसे ले गए थे और उसके विरोध के बावजूद कोई उसे बचाने नहीं आया । अभियोक्त्री ने उसे आगे बताया कि उसे एक सुनसान घर में ले जाया गया और अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया, लेकिन चूंकि उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए वह उस स्थान का नाम नहीं बता सकी जहाँ बलात्कार की घटना हुई थी। इस गवाह को अभियोक्त्री द्वारा दो बार बलात्कार किए जाने की सूचना दी गई थी और फिर अगले दिन उसे अभियुक्त रवि जायसवाल द्वारा ले जाया गया और ग्राम चैनपुर में छोड़ दिया गया तथा रास्ते में अन्य अभियुक्तों द्वारा उसे छेड़ा गया, धमकाया गया और पीटा गया.प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि घटना के समय गाँव में मेला लगा था और कई गाँवों के लोग वहां जमा थे. इस गवाह के अनुसार, उसका घर गाँव के बीच में है और मेले का स्थान वहां से एक किलोमीटर दूर है. उसने स्वीकार किया है कि मेले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे. घटना के 15 दिनों बाद तक उसके पिता ग्राम सोरखों में ही रुके रहे, इस उम्मीद में कि न्याय मिलने के बाद ही वे ग्राम चैनपुर लौटेंगे और वहां प्रवास के दौरान वे बहुत परेशान थे. इस गवाह ने अभियोक्त्री और अभियुक्त राजकुमार के बीच किसी भी प्रेम प्रसंग या अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त राजकुमार से शादी के लिए कहने की बात से इनकार किया है. इस गवाह ने स्वीकार किया कि इससे पहले अभियुक्त राजकुमार और शनि मेले के समय उसके घर आए थे.उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसके पिता के निर्देश पर उसका पति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28.11.2004 को अभियोक्त्री को लेने गया था और बताया कि वह 29.11.2004 को चैनपुर गया था. यह गवाह दो विषयों में एम.ए. शिक्षित है और उसने बताया कि घटना के दिन गाँव में श्याम कार्तिक मेला था, गाँव में भारी भीड़ थी और भीड़ के कारण गलियों में चलना भी मुश्किल था. इस गवाह के अदालती कथन और केस डायरी के कथन के बीच कुछ विरोधाभास प्रतीत होते हैं. इस गवाह ने कहा कि उसे अभियोक्त्री ने बताया था कि अभियुक्तों द्वारा ले जाए जाते समय उसने पूरे रास्ते मदद के लिए शोर मचाया था, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया.यह तथ्य अभियोक्त्री द्वारा पुलिस को केस डायरी कथन दर्ज कराते समय भी बताया गया था, लेकिन यदि वहां इसका उल्लेख नहीं है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती. इस गवाह के अनुसार, चूंकि अभियोक्त्री ग्राम चैनपुर में रहती थी, इसलिए वह अन्य लोगों के साथ उसके संबंधों के बारे में नहीं बता सकती. उसने बताया कि रिपोर्ट उसके पति द्वारा गाँव के लोगों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद दर्ज कराई गई थी. उसके पति ने उसे सूचित किया था कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा.दं.स के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. इस गवाह के अनुसार अधिवक्ताओं ने उसे बताया कि अब सही रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और आरोपियों को दंडित किया जाएगा। इस गवाह ने यह भी कहा कि उसने अपने पति को भी बताया कि रिपोर्ट कैसे दर्ज कराई गई तथा पुलिस को क्या-क्या बताया गया। उसने यह भी कहा कि आरोपी राजकुमार विवाहित व्यक्ति है और भिन्न जाति से संबंधित है, जबकि वह स्वयं भी भिन्न जाति की है; अतः उनके बीच विवाह संभव नहीं है। उसने यह भी कहा कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि आरोपी/अपीलकर्ता राजकुमार के गांव में आरोपी/पीड़िता के संबंध में पंचायत हुई थी। शीतल दास (अ.सा-3) ग्राम कोटवार है, जिसने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। डॉ. नंदिनी चंद्रवंशी (अ.सा-4) वह चिकित्सक हैं जिन्होंने पीड़िता की जांच की। उन्होंने पाया कि पीड़िता की बाईं कोहनी पर दो घर्षण थे, परंतु शरीर पर किसी प्रकार की आंतरिक चोट नहीं पाई गई तथा यह भी कहा कि पीड़िता लगभग 20 वर्ष की आयु की है और यौन संबंध की अभ्यस्त है।किशोर सिंह (अ.सा-5) जप्ती गवाह है जिसने आरोपी/अपीलकर्ता राजकुमार के वस्त्रों को जब्त होते हुए देखा जो प्र.पी 10 है। के.के. श्याम (अ.सा-6) पटवारी है, जिसने स्थल नक्शा प्र.पी 13 तैयार किया। डॉ. अरविंद द्विवेदी (अ.सा-7) ने आरोपी राजकुमार की चिकित्सकीय जांच की तथा रासायनिक परीक्षण हेतु नमूने भेजे। नारायण राठिया (अ.सा-8) पटवारी है जिसने पीड़िता के बताए अनुसार घटना स्थल का नक्शा प्र.पी 15 तैयार किया। डॉ. ओ.पी. श्रीवास्तव (अ.सा-9) वह चिकित्सक हैं जिन्होंने आरोपी/अपीलकर्ता राजकुमार की जांच की और अपना प्रतिवेदन (प्र.पी-16) प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी संभोग करने में सक्षम है। छत्रपाल राठौर (अ.सा-11) पीड़िता का भाई है, जिसने बताया कि उसे अपने पिता से फोन पर सूचना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मिली कि पीड़िता लापता है। इसके बाद वह अपने पिता से मिलने ग्राम सरखों गया और वहां से अपने पिता के साथ ग्राम चांपुर गया। दिनांक 27.11.2004 को वह ग्राम हलाहुली गया और अगले दिन 28.11.2004 को वह चांपुर आया, जहां उसे पता चला कि पीड़िता को आरोपी राजकुमार एवं शनि द्वारा अपहृत कर एक सुनसान मकान में ले जाया गया था, जहां उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया गया। इसके पश्चात उसने यह जानकारी अपने पिता को दी और फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रति प्रेक्षण में इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह ने यह भी कहा कि आरोपी राजकुमार एक मिनी बस में कंडक्टर के रूप में कार्य करता था। प्रति प्रेक्षण के दौरान इस गवाह से कई प्रासंगिक प्रश्न पूछे गए। सावित्री बाई (अ.सा-12), जो पीड़िता की माता हैं, ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 27.11.2004 को रात्रि लगभग 12 बजे उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन भयवश उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जब दूसरी बार दरवाजा खटखटाया गया, तब उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखा तो वहां जगदीवन गाबेल था, जिसने बताया कि पीड़िता को आरोपी राजकुमार और शनि अपने साथ ले गए हैं। जब उसने उसे साथ चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, जिस पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद वह घर के अंदर आ गई। पुनः जब दरवाजा खटखटाया गया और उसने अभियोजन पक्ष की आवाज सुनी, तब उसने दरवाजा खोला और देखा कि पीड़िता घर के अंदर खड़ी है। प्रति प्रेक्षण में इस गवाह के कथनों में कई विरोधाभास पाए गए, जब उसके न्यायालयीन कथन की तुलना उसके डायरी कथन (प्र.डी-4) से की गई। उसने यह स्वीकार किया कि परिवार में कुछ विवाद था और आरोपी राजकुमार तथा पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था, जिसके कारण गांव में यह बात फैली थी और इस कारण आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बन गई थी। मुरारीलाल राठौर (अ.सा-13), जो पीड़िता के जीजा हैं, ने बताया कि श्याम कार्तिक मेला के पूर्व संध्या पर पीड़िता उनके घर आई थी और दिनांक 26.11.2004 को जब वह खेत में काम करने गया था, तब उसने पीड़िता को घर पर छोड़ दिया था, लेकिन जब वह वापस आया तो वह घर पर नहीं मिली। इसके बाद उसकी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके पश्चात उसने पीड़िता के पिता को सूचना दी और फिर सभी लोग मिलकर उसकी तलाश करने लगे। पुलिस को भी सूचना दी गई। दिनांक 28.11.2004 को उसे सूचना मिली कि पीड़िता ग्राम चांपुर पहुंच गई है। इसके बाद पीड़िता ने सभी को बताया कि उसे आरोपियों द्वारा किस प्रकार अपने साथ ले जाया गया था। यह गवाह भी स्वीकार करता है कि श्याम कार्तिक मेला के अवसर पर काफी भीड़ थी और पुलिस बल भी तैनात था। कंडिका 12 में यह स्वीकार किया गया है कि यदि राठौर समुदाय की कोई लड़की अन्य समुदाय के लड़के के पास जाती है तो समाज द्वारा उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है तथा उसके परिवार के सदस्यों का भी बहिष्कार किया जाता है। यदि समाज को अभियोक्त्री और आरोपी राजकुमार के बीच प्रेम संबंध के बारे में जानकारी हो जाती, तो वे लड़की तथा उसके परिवार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को समाज से बहिष्कृत कर देते। उसने यह भी स्वीकार किया है कि समाज में सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसे कार्य आवश्यक समझे जाते हैं।कृष्णपाल राठौर (अ.सा-14), जो अभियोक्त्री का भाई है, ने भी अभियोजन के कथन का समर्थन किया है। उसने बताया कि 28.11.2004 को अभियोक्त्री घर से लापता हो गई थी और वह उस समय घर पर नहीं था तथा उसे खोजने गया था। बाद में उसके पिता ने उसे सूचित किया कि अभियोक्त्री वापस आ गई है और वह गाँव चैनपुर लौट आया। उसने यह नहीं बताया कि उसने अभियोक्त्री से कोई पूछताछ की या नहीं। तत्पश्चात उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।नानू राठौर (अ.सा -15) जाँच अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन के प्रकरण का पूर्ण समर्थन किया है। हरप्रसाद पांडे (अ.सा-6) सहायक उप निरीक्षक हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल जब्त की। ब्रजलाल पांडे (अ.सा-17) वह गवाह हैं जिन्होंने प्रथम सूचना पत्र प्र.पी-17 दर्ज की।

रिकॉर्ड से यह भी प्रतीत होता है कि प्र.पी-28 के अनुसार अभियोक्त्री के कपड़ों (वस्तु A), अभियोक्त्री के स्लाइड्स (वस्तु B) तथा आरोपी के स्लाइड्स (वस्तु C) को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था, किन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, विशेष रूप से अभियोक्त्री के पिता (अ.सा-1), उसके बहनोई (अ.सा-2) तथा स्वयं अभियोक्त्री (अ.सा-13) के बयानों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन यह स्थापित करना चाहता है कि अभियोक्त्री सहमति देने वाली पक्ष थी। अभियोक्त्री के ही कथन के अनुसार, जब अभियोक्त्री को आरोपियों द्वारा ले जाया गया, तब उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर 3-4 घंटे तक घुमाया गया, किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसने उनके कब्जे से बाहर निकलने का कोई प्रयास किया या किसी का ध्यान आकर्षित करने हेतु कोई शोर किया। यह भी अभिलेख में है कि श्याम कार्तिक मेला के दौरान वहाँ भारी भीड़ रहती है तथा उस समय भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, किन्तु अभियोक्त्री ने न तो पुलिस को और न ही वहाँ उपस्थित लोगों को कोई शिकायत की।अभियोजन पक्ष के गवाह (अ.सा-1) के कथन के अनुसार यदि उसकी पुत्री (अभियोक्त्री) ने आरोपी राजकुमार से विवाह कर लिया होता, तो समाज द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया जाता। इसी प्रकार मुरारीलाल राठौर (अ.सा-13) ने भी कहा है कि यदि राठौर समुदाय की कोई लड़की अन्य समुदाय के लड़के के साथ जाती है, तो समाज द्वारा लड़की और उसके परिवार का बहिष्कार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अभियोक्त्री और आरोपी राजकुमार के बीच प्रेम संबंध के बारे में समाज को जानकारी हो जाती, तो वे लड़की तथा उसके परिवार को समाज से बाहर कर देते।इसी प्रकार अंजनी (अ.सा-2) ने भी कहा कि यदि अभियोक्त्री की शादी आरोपी राजकुमार से हो जाती, तो जातिगत भिन्नता के कारण विवाह में समस्या होती, किन्तु प्रेम संबंध के कारण परिवार द्वारा इसे स्वीकार भी किया जा सकता था। साक्ष्य

यह भी दर्शाते हैं कि अभियोक्त्री के परिवार और आरोपी के परिवार के बीच कुछ विवाद था, जिसके परिणामस्वरूप पंचायती बैठकों का आयोजन हुआ।अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियोक्त्री का कथन एक कोरे कागज पर लिया गया था और उसने प्राथमिकी नहीं पढ़ी थी। यह भी दर्शाया गया है कि उसे एक कमरे में पर्याप्त समय तक रखा गया, फिर भी उसने बाहर किसी को बुलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियोक्त्री के कपड़े तथा आरोपी राजकुमार के कपड़े रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गए थे, किन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिससे आरोपी राजकुमार द्वारा बलात्कार की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है।इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि घटना दिनांक 26.11.2004 को हुई, अभियोजन पीड़िता दिनांक 27.11.2004 को घर लौटी और रिपोर्ट दिनांक 30.11.2004 को दर्ज कराई गई, तथा इस विलंब का उचित स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया। यद्यपि यह सत्य है कि बलात्कार के मामलों में केवल अभियोक्त्री का साक्ष्य ही अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, बशर्ते वह पूर्णतः विश्वसनीय, निष्कलंक एवं उच्च गुणवत्ता का हो तथा न्यायालय का पूर्ण विश्वास अर्जित करता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दुर्भाग्यवश, वर्तमान प्रकरण में स्थिति ऐसी नहीं है। अभियोजिका के महत्वपूर्ण तथ्यों पर दिए गए साक्ष्य में कई कमियाँ पाई गई हैं, जैसे कि विरोधाभास, असंगतियाँ, अतिशयोक्ति तथा अलंकरण, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह सत्य नहीं कह रही है। अतः इस न्यायालय की विचारित राय के अनुसार अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है और इसलिए आरोपियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किए जाने का अधिकार है।

9. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आरोपियों/अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह सूचित किया गया है कि आरोपी राजकुमार को चोड़कर अन्य आरोपी जमानत पर हैं, अतः उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं। आरोपी/अपीलकर्ता राजकुमार, जो वर्तमान में जेल में है, उसे तत्काल रिहा किया जाए।

हस्ताक्षरित
(प्रीतिंकर दिवाकर)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.